

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया, सारण (छपरा), जहानाबाद, औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका, भोजपुर (आरा), सुपौल, बक्सर
एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक-14.2.2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹6,81,47,850/- (छः करोड़ इक्यासी लाख सैतालीस हजार आठ सौ पचास रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,81,47,850/- (छः करोड़ इक्यासी लाख सैतालीस हजार आठ सौ पचास रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन


(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया, सारण (छपरा), जहानाबाद, औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका, भोजपुर (आरा), सुपौल, बक्सर
एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक- 2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹6,81,47,850/- (छः करोड़ इक्यासी लाख सैतालीस हजार आठ सौ पचास रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,81,47,850/- (छः करोड़ इक्यासी लाख सैतालीस हजार आठ सौ पचास रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।


अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-03/2018 सा०-.....46...../ पटना, दिनांक- 14.2. /2019
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया, सारण (छपरा), जहानाबाद,
औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका, भोजपुर (आरा), सुपौल, बक्सर एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

क्र० सं०	कूट संख्या	ईकाइ मद											योग
			पूर्णिया	सारण (छपरा)	जहानाबाद	औरंगाबाद	बेगूसराय	बांका	भोजपुर (आरा)	सुपौल	बक्सर	दरभंगा	
1	01 01	वेतन	0	29,00,000	0	0	0	105,00,000	280,00,000	0	7,50,000	0	421,50,000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	0	2,70,000	0	0	0	10,00,000	30,00,000	0	50,000	0	43,20,000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	0	2,40,000	0	0	0	6,00,000	15,00,000	0	28,000	0	23,68,000
4	01 05	परिवहन भत्ता	0	50,000	0	0	0	0	2,00,000	0	0	0	2,50,000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	0	40,000	0	0	0	6,00,000	0	0	32,000	0	6,72,000
6	01 07	अन्य भत्ता	0	0	0	0	0	70,000	1,00,000	0	5,000	0	1,75,000
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	1,00,000	74,850	0	20,00,000	0	0	0	0	0	21,74,850
8	11 01	यात्रा व्यय	0	0	0	0	1,00,000	3,00,000	2,50,000	0	0	4,00,000	10,50,000
9	13 01	कार्यालय व्यय	0	0	0	0	0	3,00,000	0	30,00,000	0	0	33,00,000
10	13 02	वा0 का ई0 एवं रख रखाव	0	0	0	0	0	3,00,000	1,00,000	15,00,000	0	0	19,00,000
11	13 03	दूरभाष	0	0	0	0	0	40,000	2,00,000	1,50,000	0	0	3,90,000
12	13 04	विद्युत प्रभार	0	0	0	0	0	4,00,000	10,50,000	2,00,000	0	0	16,50,000
13	13 06	वर्दी/ पोशाक	0	0	0	0	0	20,000	1,50,000	0	0	0	1,70,000
14	14 01	किराया, महसूल एवं कर	0	0	0	0	0	85,000	25,00,000	0	0	0	25,85,000
15	16 01	प्रकाशन एवं मुद्रण	1,43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43,000
16	20 01	आतिथ्य व्यय	0	0	0	0	0	50,000	2,00,000	1,50,000	0	0	4,00,000
17	20 02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	0	0	0	0	0	0	2,00,000	1,50,000	0	0	3,50,000
18	28 02	संविदा सेवाएँ	0	0	0	20,00,000	0	6,00,000	10,00,000	5,00,000	0	0	41,00,000
कुल योग-			1,43,000	36,00,000	74,850	20,00,000	21,00,000	148,65,000	384,50,000	56,50,000	8,65,000	4,00,000	681,47,850

(छ: करोड़ इक्यासी लाख सैतालीस हजार आठ सौ पचास रूपये) मात्र।



सरकार के उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग